संचालनालय पशुपालन कामधेनु भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

कोचा चं0-0755-2772262/ प्रेम्स-0755-2772263.

भोपाल/दिनांक 23 4 2020

कर्मांक 2 606 / कुक्कुट / 2020-21

प्रति, उप संचालक

प्रशु चिकित्सा सेवाएें.

जिला(समस्त)

विषय:--

प्रदेश के मुर्गी पालन व्यवसाय में अनचाहें चूजों को अमानवीय ओर गैर कानूनी

विधि से मारने पर प्रतिबंध लगाने बाबत्।

संदर्भ:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी PETA का ई-मेल दिनॉक 20.04.2020 I

विषयान्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी. People for the Ethical Treatment of Animal (PETA) INDIA ने संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश में कुक्कुट पालकों / हैचरी द्वारा अमानवीय कूर एवं गैर कानूनी ढंग से मुर्गियों के चूजों को मारने पर प्रतिबंध लगायें जाने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष पोल्ट्री हैचरी में उत्पादित लाखों अनचाहे. बीमार / विकृत चूजों को अमानवीय / कूर तरीके से मार दिया जाता है जो Prevention of Cruelty to Animals Action की धारा 11 के विभिन्न प्रवधानों का स्पष्ट उल्लंघन है व दण्डनीय अपराध हैं। PETA द्वारा अनचाहे चूजों को मारने के लिए अपनायी जा रही अवैध एवं कूर प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके लिए Animal Welfare Board of India (AWBI) और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं मानवीय तरीकों को अपनाया जायें।

अतः निर्वेशित है कि आपके जिलें में संचालित हैंचरी / कुक्कुट पालन केन्द्रो पर अवैध और कूर प्रथाओं के उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध लगाते हुए यह सुनिश्चित करें कि Animal Welfare Board of India (AWBI) और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं गानवीय तरीकों को अपनाया जाये।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ०आर०के०रीकडे)

संचालक पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश

कमांक प्रतिलिपि:— / कुक्कुट / 2020–21

'मोपाल 🗸 दिनांक

1- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2— डॉ०मंगिलाल बलीयाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उनके ई—मेल के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित॥

3— संयुक्त संचालक. पशु चिकित्सा सेवाऐं, समस्त संभाग, की ओर सूचनार्थं।

 संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं कुक्कुट अनुसंधान प्रक्षेत्र, हताईखेडा भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

5— प्रबंधक, कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, इंदौर/झाबुआ/गुना/ग्वालियर/शहडोल/रीवा/सागर/ छिन्दवाडा की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ॥

अध्यक्ष, पोल्ट्री एसोसिएशन. मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश





ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA भारतीय जीव जन्तु कल्याण बार्ड

(Ministry of Environment and Forests, Govt. of India) (पर्यावश्या एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)

MALL GEN. (Retd.) Dr. R. M. KHARB, AVSM CHARMAN

09 March, 2012

Dear De Nanda,

Sub: Utilization of most humane methods available during culling operation for disease control

Animal Welfare Board of India is a statutory body of Government of India constituted under the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960. At present, the AWBI is working under the aegis of Ministry of Environment and Forests, Government of India.

As you are aware the World Organization for Animal Health (OIE), of which India is member, is the intergovernmental authority responsible for improving animal health worldwide. Bringing together expertise from veterinary practitioners around the world. The OIE has developed standards and procedures for the culling of animals during disease control operations.

The approved methods are presented in chapter 7.6 of the Terrestrial Animal Health guide: www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.6.htm.

It is requested that the guidelines be followed in order to ensure that animals do not experience excessive distress, pain or suffering.

AWBI supports the use of nitrogen and/or inert gases or barbiturate injection as first choices, as these methods cause least amount of pain and result in less overall suffering.

Please direct all animal husbandry departments in the States to ensure that all culling operations for disease control are conducted in adherence to the above referred OIE standards and procedures for the culling of animals during disease control operations.

- With Best regards

Yours Sincerely

(Dr. R.M. Kharb) Maj. Gen. (Retd.), AVSM Chairman, AWBI

Mr. Amarjeet Singh Nanda, IAS
The Animal Husbandry Commissioner,
Dept. of Animal Husbandry & Dairying,
Govt. of India,
Krishi Bhavan, New Delhi – 110 001.
Ph: 011-23384146, Fax: 011-23382192